

ई-इनवॉयसिंग - एक नज़र में

ई-इनवॉयसिंग क्या है?

CGST नियमों के अंतर्गत नियम 48(4) के अंतर्गत पंजीकृत (रजिस्टर्ड) व्यक्तियों के अधिसूचित (नोटिफाइड) वर्ग (जिनका वित्तीय वर्ष 2017-18 या उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है) को इनवॉयस के निर्दिष्ट विवरणों (जिनका उल्लेख FORM GST INV-01 में है) को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करके इनवॉयस तैयार करना होगा और एक इनवॉयस रेफरेंस नंबर (IRN) प्राप्त करना होगा।

इस प्रकार 'ई-इनवॉयसिंग' प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद अधिसूचित आपूर्तिकर्ता (नोटिफाइड सप्लायर) द्वारा क्रेता (बायर) को अन्य चीज़ों के साथ ही IRN (QR कोड-युक्त) इनवॉयस कॉपी जारी की जाती है, जिसे आमतौर पर जीएसटी में 'ई-इनवॉयस' के नाम से जाना जाता है।

नियम 48(5) के अनुसार, नियम 48(4) में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी भी अन्य तरीके से किसी भी नोटिफाइड व्यक्ति द्वारा जारी किया गया कोई भी इनवॉयस, ई-इनवॉयस नहीं माना जाएगा।

'INV-01' को ई-इनवॉयस के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड के रूप में नोटिफाई किया गया था। इस प्रारूप यानी फॉर्मेट को 'स्कीमा' कहा जाता है। यह एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सप्लायर्स और बायर्स के अकाउंटिंग सिस्टम के बीच इनवॉयस के सहज आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

ई-इनवॉयसिंग प्रक्रिया:

इन दिनों अधिकांश व्यवसाय अपने इनवॉयस तैयार करने और उसके प्रबंधन के लिए कोई न कोई अकाउंटिंग/बिलिंग/ERP सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इनवॉयस (JSON प्रारूप में) को अब 'इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP)' पर रिपोर्ट किया जाएगा। IRP एक



विशिष्ट (यूनीक) इनवॉयस रेफरेंस नंबर (IRN) और एक QR कोड के साथ डिजिटली साइन किया हुआ इनवॉयस (JSON में) रिटर्न करता है।

इसका मतलब यह है कि व्यवसायों का अकाउंटिंग/ERP सिस्टम और सरकार का ई-इनवॉयस सिस्टम, इनवॉयस डेटा के आदान-प्रदान के लिए, एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। API और IRN के जेनरेशन के माध्यम से ये सभी 'मशीन-टू-मशीन' इंटरैक्शन पलक झपकते ही हो जाती हैं।


API इंटीग्रेशन के संभावित तरीके इस प्रकार हैं:

- 1. API तक सीधा एक्सेस करने वाली कंपनियों के माध्यम से:** यदि टैक्सपेयर का 'API तक सीधा एक्सेस करने वाली कंपनी' के साथ टाई-अप है यानी टैक्सपेयर उपरोक्त कंपनी के साथ अनुबन्धित है या वह उसके ERP का उपयोग करता है, तो वह उस कंपनी के माध्यम से API का इस्तेमाल कर सकता है। GSTIN (टैक्सपेयर) अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जेनरेट करता है और जिस कंपनी का सीधा एक्सेस होता है उसकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का उपयोग करके API तक एक्सेस प्राप्त करता है।
- 2. ई-वे बिल APIs का एक्सेस रखने वाले टैक्सपेयर्स:** यदि टैक्सपेयर के पास ई-वे बिल APIs का सीधा एक्सेस है, तो वह ई-इनवॉयस सिस्टम का एक्सेस हासिल करने के लिए उसी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- 3. GSP के माध्यम से:** GSTIN (टैक्सपेयर) अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जेनरेट करता है और GSP की क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का प्रयोग करके API का एक्सेस प्राप्त करने के लिए GSP के साथ टाई-अप करता है।
- 4. ERP के माध्यम से:** GSTIN (टैक्सपेयर) अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जेनरेट करता है और ERP की क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का इस्तेमाल करके API का एक्सेस हासिल करने के लिए ERP के साथ टाई-अप करता है।

हो सकता है कि कुछ व्यवसायों के पास अपना ERP/अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर न हो या रिपोर्ट करने के लिए बहुत कम संख्या में इनवॉयस हों। वे ई-इनवॉयस पोर्टल से फ्री ऑफ़लाइन यूटिलिटी ('बल्क जेनरेशन टूल') डाउनलोड कर सकते हैं। इसका उपयोग करते हुए IRN के जेनरेशन के लिए IRP पर इनवॉयस डेटा को आसानी से अपलोड किया जा सकता है। एक तरफ़ पोर्टल JSON फॉर्मेट में 'मशीन-रीडेबल' (मशीन द्वारा पठनीय) इनवॉयस जारी करता है, तो दूसरी ओर इनवॉयस की 'ह्यूमन-रीडेबल' (सामान्यतः पठनीय) पीडीएफ कॉपी (सेव/प्रिंट/ई-मेल आदि के लिए) जेनरेट करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

IRN प्राप्त करने के बाद, इनवॉयस (QR कोड के साथ) प्राप्तकर्ता को उसी तरह जारी किया जा सकता है जैसे अभी किया जा रहा है। (नोट: ई-इनवॉयस के सिस्टम-टू-सिस्टम आदान-प्रदान को सक्षम बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड मेकेनिज़्म यानी एकीकृत प्रक्रिया तय समय में उपलब्ध कराई जाएगी।)

ई-इनवॉयस में शामिल प्रक्रिया का विस्तृत प्रवाह नीचे दर्शाया गया है:





ई-इनवॉयस - लाभ:

- डेटा मिलान संबंधी समस्याओं में कमी
- पेमेंट साइकिल (भुगतान चक्र) में सुधार
- स्टैंडर्डज़ेशन (मानकीकरण) और इंटरऑपरेबिलिटी (अन्तरसंचालनीयता)
- बेहतर आंतरिक नियंत्रण
- विवादों और लागतों में कमी
- रिटर्न और ई-वे बिल का ऑटो-पापुलेशन

डॉक्युमेंट/सप्लाई जो इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं:

डॉक्युमेंट	सप्लाई
<ul style="list-style-type: none"> ➤ इनवॉयस ➤ क्रेडिट नोट्स ➤ डेबिट नोट्स 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रजिस्टर्ड व्यक्तियों (B2B) को सप्लाई ➤ SEZs (भुगतान के साथ/बिना) को सप्लाई ➤ एक्सपोर्ट्स (भुगतान के साथ/बिना) ➤ डीमड एक्सपोर्ट्स <p>नोट: B2C इनवॉयस वर्तमान में कवर नहीं किए गए हैं</p>

ई-इनवॉयस की उपयुक्तता

जहां यह लागू होता है	जहां यह लागू नहीं होता है
<ul style="list-style-type: none"> - उन रजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिए जिनका सकल कारोबार (पैन आधारित) 2017-18 या उसके बाद वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा (संबंधित नोटिफिकेशन के अनुसार) से अधिक है - GSTIN वाले सरकारी विभागों (माल/सेवाओं की सप्लाई/TDS काटने वाली इकाई के रूप में) को सप्लाई - एक ही पैन के तहत दो अलग-अलग GSTIN के बीच इनवॉयस - SEZ डेवलपर्स द्वारा जारी किए गए इनवॉयस - नोटिफाइड व्यक्ति द्वारा सप्लाई के लिए जारी किए गए इनवॉयस, लेकिन जिस पर सेक्शन 9 (3) के तहत रिवर्स चार्ज लगता हो 	<ul style="list-style-type: none"> - ई-इनवॉयसिंग से छूट पाने वाले इकाई/सेक्टर: <ul style="list-style-type: none"> - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयां (FTWZs सहित), बीमाकर्ता या एक बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान (जिसमें एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल है), माल परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी (जो सड़क मार्ग से माल गाड़ी में माल ढोने से संबंधित सेवाएं देती हैं), यात्री परिवहन सेवा के सप्लायर, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में फिल्मों के प्रदर्शन से जुड़ी सेवाओं के सप्लायर। (नोट: यह छूट सप्लाई या लेनदेन की प्रकृति पर निर्भर न रहते हुए पूरी इकाई के संदर्भ में है।) - NIL रेटेड या पूर्ण रूप से छूट वाली सप्लाई - वित्तीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट - इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स (ISDs) द्वारा जारी किए गए इनवॉयस - हाई सी (अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र) सेल्स और बॉण्डेड वेयरहाउस सेल्स - उन सरकारी विभागों को सप्लाई जिनका GST के तहत कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो - जहां नोटिफाइड (अधिसूचित) व्यक्ति (i) अन-रजिस्टर्ड यानी अपंजीकृत व्यक्ति जो सेक्शन 9 (4) के तहत रिवर्स चार्ज को आकर्षित करता हो या (ii) सेवाओं के आयात से सप्लाई प्राप्त करता हो।

मुख्य विशेषताएं:

- IRP, वेलिडेशन पोर्टल के माध्यम से, केवल एक पास है। कुछ प्रमुख फील्ड IRP पर सत्यापित होंगे। इसलिए, IRN 200 मिलीसेकंड अवधि के दौरान तुरंत ही जेनरेट हो जाएगा। सर्वर एक साथ कई अपलोड को सपोर्ट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके अलावा, इनवॉयस रजिस्ट्रेशन के लोड को बांटने के लिए कई IRP उपलब्ध कराए जाएंगे।
- IRP पर ई-इनवॉयस रिपोर्ट करते समय सप्लायर के हस्ताक्षर (DSC) की आवश्यकता नहीं होती है।
- ई-इनवॉयस स्कीमा में, केवल 29 फ़ील्ड अनिवार्य हैं। अन्य सभी वैकल्पिक हैं।
- जहां ई-इनवॉयस लागू होता है, वहां ट्रिपलिकेट/डुप्लिकेट में इनवॉयस कॉपी जारी करने की आवश्यकता नहीं है। [नियम 48(6)]
- जहां ई-इनवॉयस लागू है, वहां माल की ढुलाई के दौरान ई-इनवॉयस का प्रिंट ले जाना अनिवार्य नहीं है। CGST नियमों के अंतर्गत, नियम 138 ए (2) के अनुसार, जहां ई-इनवॉयस लागू होता है: *जिस क्विक रेफेरेंस (QR) कोड में एक अंतर्निहित (embedded) इनवॉयस रेफेरेंस नंबर (IRN) हो, उसे संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए, उस टैक्स इनवॉयस के फ़िज़िकल कॉपी के बदले इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।*

ई-इनवॉयस को कैसे सत्यापित करें?

कोई भी व्यक्ति ई-इनवॉयस पोर्टल पर हस्ताक्षर किया हुआ JSON फ़ाइल या QR कोड (स्ट्रिंग) अपलोड करके ई-इनवॉयस की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकता है: einvoice1.gst.gov.in > Search > ['Verify Signed Invoice'](#)

इसका विकल्प यह है कि "Verify QR Code" mobile app डाउनलोड कीजिए और ई-इनवॉयस की सत्यता की जांच कीजिए। यह ऐप इस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता है- einvoice1.gst.gov.in > Help > Tools > [Verify QR Code App](#)

- IRP की रिपोर्टिंग अथवा IRP के जेनरेशन के लिए 'डॉक्यूमेंट डेट' (IRP के पेलोड में) एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर होनी चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है।
- लाइन आइटमों की अधिकतम संख्या 1000 है, जिन्हें एक इनवॉयस में रिपोर्ट किया जा सकता है। इसे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाएगा।
- जीएसटी कानून/नियमों के अनुसार इनवॉयस जारी नहीं करने के लिए दंड संबंधी प्रावधान CGST/SGST अधिनियम की धारा 122 में उल्लिखित हैं।

QR कोड में शामिल ई-इनवॉयस के मुख्य तत्व:

- a. सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) का GSTIN
- b. प्राप्तकर्ता का GSTIN
- c. सप्लायर के द्वारा दिया गया इनवॉयस नंबर
- d. इनवॉयस के जेनरेशन की तारीख
- e. इनवॉयस वैल्यू (टैक्सेबल वैल्यू और ग्राँस टैक्स)
- f. लाइन आइटमों की संख्या
- g. मुख्य आइटम का HSN कोड (लाइन आइटम जिसका टैक्सेबल वैल्यू उच्चतम हो)
- h. यूनिक IRN (इनवॉयस रेफरेंस नंबर/हैश)
- i. IRN जेनरेशन की तारीख

ई-इनवॉयस का संशोधन/रद्दीकरण:

इनवॉयस को आंशिक रूप से कैंसिल (रद्द) नहीं किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से कैंसिल करना होगा। इनवॉयस का कैंसिलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अन्य लागू नियमों/विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है।

एक IRN/IRP को रिपोर्ट किया गया इनवॉयस 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया जा सकता है। IRN को रद्द किए जाने की स्थिति में, GSTR-1 भी 'कैंसिल्ड' स्टेटस के साथ अपडेट हो जाएगा। हालांकि, यदि संबंधित ई-वे बिल ट्रांज़िट के दौरान सक्रिय है या अधिकारी द्वारा सत्यापित है तो IRN को कैंसिल करने की अनुमति नहीं है।

कैंसिलेशन विंडो की एक्सपायरी के बाद, IRP को दिए गए इनवॉयस विवरण में कोई भी परिवर्तन GST पोर्टल (GSTR -1 दाखिल करते समय) पर किया जा सकता है। यदि GSTR -1 पहले ही फाइल किया गया है, तो GST के तहत प्रदान किए गए संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग करके किया जा सकता है।



हालांकि, इन परिवर्तनों के बारे में संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

IRN सप्लायर के GSTIN, डॉक्युमेंट नंबर, डॉक्युमेंट और वित्तीय वर्ष के आधार पर एक यूनिक स्ट्रिंग यानी एक तार की तरह है। इसलिए, जब एक IRN रद्द कर दिया जाता है, तो संबंधित इनवॉयस नंबर का उपयोग फिर से किसी अन्य ई-इनवॉयस/IRN जेनरेट करने के लिए नहीं किया जा सकता है (यहां तक कि परमिट किए गए कैंसिलेशन विंडो के भीतर भी)। यदि इसे फिर से उपयोग किया जाता है, तो IRP पर अपलोड होने पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

GSTR-1/2A का ऑटो-पोपुलेशन और ई-वे बिल का ऑटो-जेनरेशन:

IRP में इनवॉयस विवरण की सफल रिपोर्टिंग पर, IRN सहित इनवॉयस डेटा (पेलोड) GST सिस्टम में सेव हो जाएगा। GST सिस्टम, इन्हें सप्लायर के GSTR-1 में, और संबंधित रिसीवर के GSTR-2A में ऑटो-पॉप्युलेट करेगा।

'ई-इनवॉयस' के रूप में चिह्नित सोर्स के साथ, IRN और IRN की तारीख को GSTR-1 और GSTR-2A में भी दिखाया जाएगा।

यदि ई-वे बिल के पार्ट-ए और पार्ट-बी दोनों प्रदान किए जाते हैं, तो IRP को इनवॉयस विवरण रिपोर्ट करते समय उनका उपयोग ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए किया जाएगा।

यदि IRP को इनवॉयस रिपोर्टिंग के समय पार्ट-बी का विवरण नहीं दिया जाता है, तो यह उपयोगकर्ता को IRP लॉग-इन या ई-वे बिल पोर्टल में 'ई-वे बिल' टैब के माध्यम से प्रदान करना होगा, ताकि ई-वे बिल जेनरेट किया जा सके।

प्रमुख स्पष्टीकरण:

वर्तमान में, ई-इनवॉयस स्वैच्छिक नहीं है, अर्थात केवल निर्धारित कुल टर्नओवर वाली इकाइयां ही IRP पर इनवॉयस की सूचना दे सकती हैं।

इनवॉयस में दिखाए जाने वाले कुछ शुल्क GST के लिए देय हैं। उदाहरण के तौर पर- माल ढुलाई, बीमा, पैकिंग और फॉर्वर्डिंग चार्ज आदि। इन्हें इनवॉयस में एक और लाइन आइटम के रूप में जोड़ा जा सकता है।



आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सप्लायरों (आपूर्तिकर्ताओं) द्वारा एकत्र किए गए TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) को "अन्य शुल्क (इनवॉयस स्तर)" के तहत दिखाया जा सकता है।

INV-01 स्कीमा केवल IRP को निर्दिष्ट इनवॉयस विवरणों की रिपोर्ट करने के लिए है। एक बार जब पोर्टल से IRN प्राप्त हो जाता है, तो बायर (क्रेता) को इनवॉयस जारी करते समय बिज़नेस GST में प्रासंगिक नहीं होने वाले तत्वों को भी जोड़ सकता है।

GST के बाहर की वस्तुओं के लिए, ऐसे व्यवसायों द्वारा अलग से इनवॉयस दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए- एक B2B सप्लायर का इनवॉयस जारी करने वाला होटल, जहां सप्लायर में खाद्य और पेय पदार्थ (GST के लिए देय) और मादक पेय (GST के बाहर) शामिल हैं।

ई-इनवॉयस पोर्टल से हस्ताक्षरित JSON (IRN/QR कोड के साथ) प्राप्त करने के बाद और प्राप्तकर्ता को इनवॉयस कॉपी जारी करते समय, सप्लायर के सिग्नेचर/डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता CGST नियम, 2017 के नियम 46 के प्रावधानों द्वारा शासित है।

ई-इनवॉयस व्यवस्था में भी, माल परिवहन करते समय, जहां कहीं भी ई-वे बिल की आवश्यकता है, वहां यह अनिवार्य रूप से जारी रहेगी।

B2C डायनामिक QR कोड के बारे में:

अधिसूचना संख्या 14/2020-केंद्रीय कर दिनांक 21 मार्च, 2020 (संशोधित) के अनुसार 2017-18 या उसके बाद वित्तीय वर्ष में रु. 500 करोड़ से अधिक के कुल कारोबार के लिए B2C इनवॉयस पर एक डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड (QR कोड) शामिल करना अनिवार्य है। यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि डिजिटल डिस्प्ले (पेमेंट क्रॉस-रेफरेंस) के माध्यम से बायर (क्रेता) को उपलब्ध कराया गया डायनेमिक QR कोड को QR कोड माना जाएगा।

इसकी, नियम 48 (4) के तहत 'ई-इनवॉयसिंग' के संदर्भ में कोई प्रासंगिकता या उपयोगिता नहीं है, जो कि करदाताओं के अधिसूचित वर्ग द्वारा B2B सप्लायर और निर्यात के संबंध में अनिवार्य है।

ई-इनवॉयस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

क्या मुझे एक सरकारी वेबसाइट पर इनवॉयस विवरण दर्ज करने और IRN प्राप्त करने की आवश्यकता होगी?

नहीं। ई-इनवॉयस की परिकल्पना मुख्य रूप से इस प्रकार की गई है कि यह इनवॉयस डेटा का आदान-प्रदान 'मशीन-टू-मशीन' करेगा। (मुख्यतः टैक्सपेयर यानी करदाता के सिस्टम और IRP के बीच)

यदि व्यवसाय में ERP/अकाउंटिंग/बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है या रिपोर्ट करने के लिए बहुत कम इनवॉयस हैं, तो वे IRP पर अपलोड करने के लिए, डेटा दर्ज करने और JSON फ़ाइल बनाने के लिए निःशुल्क ऑफ़लाइन टूल डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।

भविष्य में वेब-आधारित और मोबाइल ऐप-आधारित इंटरफेस भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसी विशेष सप्लायर को ई-इनवॉयस जारी करना होगा, यह कैसे जाना जा सकता है? (यानी IRN/QR कोड के साथ इनवॉयस)

निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, नियम 48 (4) के संदर्भ में ई-इनवॉयस जारी करने का दायित्व (यानी IRP को इनवॉयस विवरण रिपोर्टिंग, IRN प्राप्त करना और QR कोड के साथ इनवॉयस जारी करना) संबंधित करदाताओं (टैक्सपेयर्स) के पास है।

हालांकि, एक आसान उपाय के रूप में, 2017-18 से वित्तीय वर्ष में निर्धारित टर्नओवर को पार करने वाले सभी करदाताओं को IRP को इनवॉयस रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया गया है।

आप ई-इनवॉयस पोर्टल पर GSTIN के बारे में पता कर सकते हैं:

कृपया <https://einvoice1.gst.gov.in/> पर जाएं, और e-invoice status of taxpayer सर्च करें

यह लिस्टिंग GST सिस्टम को रिपोर्ट किए गए GSTR-3B के कारोबार पर आधारित है। इसलिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ई-इनवॉयस पोर्टल पर इनेबलमेंट स्टेटस का मतलब

यह नहीं है कि टैक्सपेयर्स को ई-इनवॉयसिंग करना है। यदि किसी टैक्सपेयर के लिए ई-इनवॉयसिंग लागू नहीं होता है, तो उन्हें इनेबलमेंट स्टेटस के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और इसे अनदेखा कर सकते हैं।

इसके अलावा, करदाता के टर्नओवर स्लैब को "Search Taxpayer"/"Know Your Supplier" के माध्यम से भी GST पोर्टल पर देखा जा सकता है।

किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए, नियम 48 (4) के संदर्भ में इनवॉयस तैयार करना आवश्यक है, लेकिन पोर्टल पर इनेबलमेंट नहीं होने पर, वह पोर्टल 'Registration->e-Invoice Enablement' पर जाकर इनेबलमेंट के लिए अनुरोध कर सकता है।

ई-इनवॉयस जारी करते समय क्या प्रिंट किया जाना है?

इन्हें प्रिंट करें	इन्हें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं
नियम 46/53 के अनुसार विवरण, जिसमें IRN युक्त QR कोड शामिल है	अकनॉलेजमेंट संख्या अकनॉलेजमेंट दिनांक
नोट: प्रिंटेड QR कोड एक QR कोड रीडर द्वारा पठनीय होने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट होना चाहिए , लेकिन इनवॉइस पर इसका आकार व स्थान, व्यवसायों की प्राथमिकता के अनुसार रखा जा सकता है।	IRN IRP द्वारा दिया गया डिजिटल सिग्नेचर

कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब होने के मामले में, क्या IRN प्राप्त करने की अनिवार्यता में कोई छूट होगी?

ऐसी आकस्मिक स्थितियों में छूट प्रदान करने के लिए एक स्थानीय तंत्र बनाया गया है।

CGST नियमों के नियम 48(4) के अनुसार: आयुक्त (कमिश्नर), काउंसिल की सिफ़ारिशों पर, अधिसूचना के द्वारा, एक व्यक्ति या रजिस्टर्ड व्यक्तियों के एक वर्ग को इस उप-नियम के तहत एक विशेष अवधि के लिए इनवॉयस जारी करने में छूट प्रदान कर सकता है। यह छूट उन शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार होगी, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट होंगे।

सामग्री:

API इंटीग्रेशन स्पेसिफिकेशन, डेवलपर के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध हैं:
<https://einv-apisandbox.nic.in/>

एक विस्तृत डॉक्यूमेंट '[e-invoice- Detailed Overview](#)' उपलब्ध है।

ई-इनवॉयस संबंधी सूचनाओं से संबंधित कई वीडियो GSTN के [YouTube चैनल पर 'e-invoice' प्लेलिस्ट](#) में उपलब्ध हैं।

अन्य सहायता:

GSTR-1 में APIs/सैंडबॉक्स/ ई-इनवॉयस पोर्टल/ऑफ़लाइन यूटिलिटी/ऑटो-पोपुलेशन आदि किसी भी तकनीकी समस्या के लिए, कृपया **GST Self-Service Portal** (<https://selfservice.gstsystem.in/>) पर शिकायत दर्ज करें।

ई-इनवॉयस पर किसी अन्य प्रतिक्रिया और सुझाव का e-invoice@gstn.org.in पर स्वागत है।
